

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक :— प. २१(२)मं. म. / २००९

जयपुर दिनांक:— १२/१०/२०२०

परिपत्र

राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम ३१(१) में वर्णित समस्त प्रकरणों के साथ-साथ इस सचिवालय के परिपत्र दिनांक २१.०१.२०१५ एवं २६.०२.२०१५ में उल्लेखित प्रकरणों “जिनके आदेश प्रसारित करने से पूर्व, माझे मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है” के बिन्दु संख्या १ में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

१. राज्य सरकार के स्तर पर केन्द्र सरकार व विभिन्न विभागों व उनके संगठनों, पब्लिक या प्राइवेट एन्टरप्राइजेज या जोईन्ट वेंचर कम्पनीज को ५० (पचास) एकड़ से अधिक के भूमि आवंटन के प्रकरणों को “मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जायेगा।”
२. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, २०११ के अन्तर्गत प्राप्त भू-आवंटन के आवेदनों का निस्तारण विनिधान बोर्ड (Board of Investment) की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

इस सचिवालय के परिपत्र दिनांक २१.०१.२०१५ में उल्लेखित बिन्दु संख्या २ (जो अब नीचे भी बिन्दु संख्या ३ के रूप में उल्लेखित है) के साथ ही निम्न श्रेणी के प्रकरण भी राजस्थान कार्य विधि नियम के नियम ३१(१)(XXXIV) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियम ३१(१) में वर्णित समस्त प्रकरणों के साथ-साथ आदेश जारी किये जाने से पूर्व माझे मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर प्रस्तुत किये जायेंगे:—

३. राज्य सरकार के स्तर पर नई शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था खोलने की स्वीकृति या विद्यमान संस्था के पुनर्गठन से संबंधित मामले।
४. राज्य सरकार के स्तर पर निजी महाविद्यालय खोलने, उनमें सीट बढ़ाने/नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने एवं उनमें सीट बढ़ाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/स्वीकृति से संबंधित मामले।
५. राज्य सरकार के स्तर पर निजी महाविद्यालय द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर/ डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स की फीस बढ़ाने एवं NRI सीट बढ़ाने से संबंधित मामले।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
शासन सचिव १२/१०/२०२०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

१. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
२. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
३. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
४. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग
५. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प.27(2)मं.मं / 2009

जायपुर, दिनांक: ०१-०१-२०१५

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में आवश्यक आदेश प्रसारित करने से पूर्व प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।

इस संबंध में आवश्यक है कि राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में आवश्यक आदेश प्रसारित करने से पूर्व प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं।

उक्त नियम 31(1) की पालना सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में भी मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा परिपत्र दिनांक 17.02.2001, 5.10.2001, 24.05.2002, 13.10.2004 एवं 25.08.2011 के द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है।

उक्त निर्देशों की कतिपय विभागों द्वारा अभी भी पूर्ण पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अतः राजस्थान कार्यविधि नियम 31(1) (XXXVI) में प्रदत्त साधितयों का प्रयोग करते हुए उक्त नियम 31 (1) में वर्णित समर्त प्रकरणों के साथ—साथ निम्न श्रेणी के प्रकरण भी आदेश प्रसारित करने से पूर्व मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु पुनः निर्देशित किया जाता है:—

1. राज्य सरकार के स्तर पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उनके संगठनों, पब्लिक या प्राईवेट एंटरप्राइजेज या जोईन्ट वेंचर कम्पनीज को भूमि आवंटन के मामले।
2. राज्य सरकार के स्तर पर नई शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था खोलने की स्वीकृति या विद्यमान संस्था के पुनर्गठन से सम्बन्धित मामले।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

राज्यपाल की आङ्गा से,

(अजीत कुमार सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है:—

1. समर्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. सचिव, मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. सचिवालय के समर्त विभाग/प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 27(02)मंम / 2009

जयपुर, दिनांक: 26-02-2015

परिपत्र

इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.01.2015 में  
आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान कार्यविधि नियम 31(1) के अन्तर्गत  
आने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 1 पर उल्लेखित निर्देश में  
निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

“1. राज्य सरकार के स्तर पर केन्द्र सरकार व विभिन्न विभागों व  
उनके संगठनों, पब्लिक या प्राईवेट एंटरप्राईजेज या जोईन्ट वेंचर  
कम्पनीज को 50 (पचास) एकड़ से अधिक के प्रकरणों में भूमि  
आवंटन के मामले।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

४०

(अजीत कुमार सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समर्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
4. सचिवालय के समर्त विभाग एवं अनुभाग ।
5. रक्षित पत्रावली ।

  
(हरी बाबू शर्मा)  
वरिऽ शासन उप सचिव